भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2305

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष प्रणालियों का एकीकरण

2305. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की स्थापना के साथ-साथ आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के माध्यम से आयुष प्रणालियों के एकीकरण की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार की इस संबंध में देश में बुनियादी ढांचा विकास के साथ-साथ पर्याप्त और योग्य आयुष चिकित्सकों की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत बीमा कवरेज सुनिश्चित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, 12500 मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों (एससी) को आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों [अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में नाम दिया गया] के रूप में संचालित किया गया था। इन इकाइयों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था, जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया गया था और इन आयुष पद्धतियों को मौजूदा जन स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी शामिल था, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर आयुष सेवाओं को सुलभ बनाकर जरूरतमंद जनता को सूचित विकल्प प्रदान किया जा सके।

इसके अलावा, भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-संस्थापना के माध्यम से आयुष पद्धतियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के साथ एकीकृत करने की कार्यनीति अपनाई है। यह दृष्टिकोण रोगियों को एक ही सेवा प्रदायगी तंत्र के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में से विकल्प चुनने की सुविधा प्रदान करता है। आयुष चिकित्सकों/चिकित्सा सहायकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में एनएएम के तहत, आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। देश भर में (दिनांक 30.06.2025 तक एनएचएम-एमआईएस के अनुसार) आयुष पद्धति के साक्ष्य-आधारित एकीकरण को मजबूत करने और आयुष सेवाओं का विस्तार करने की दिशा में एक पहल के रूप में, एनएचएम के अंतर्गत, सह-संस्थापित

13,094 आयुष सुविधाओं (6206 पीएचसी, 3133 सीएचसी, 472 डीएच, 3037 स्वास्थ्य सुविधाएं उप-केंद्र (एससी) से ऊपर लेकिन ब्लॉक स्तर से नीचे और सीएचसी के अलावा 246 अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर या उससे ऊपर लेकिन जिला स्तर से नीचे) में आयुष को मुख्यधारा में लाने का कार्य शुरू किया गया है ।

(ख) एवं (ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, अवसंरचना के विकास, पर्याप्त और योग्य आयुष चिकित्सकों की उपलब्धता के साथ-साथ आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। हालांकि, एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अवसंरचना के विकास, आयुष चिकित्सकों सहित मानव संसाधन की संविदात्मक तैनाती और आयुष सुविधाओं के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार सहायता प्रदान की जा रही है।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 आयुष उपचार को परिभाषित करते हैं और बीमाकर्ताओं के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसियाँ बनाना अनिवार्य करते हैं जिनमें आयुष उपचार को अन्य चिकित्सा उपचारों के समान दर्जा दिया गया हो। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय पर जारी (दिनांक 29.05.2024) मास्टर सर्कुलर में, बीमाकर्ताओं को ऐसे उत्पाद और बीमा पॉलिसियाँ प्रदान करने का अधिदेश है, जिनमें पॉलिसीधारकों को अन्य चिकित्सा पद्धतियों के समान आयुष उपचार चुनने का विकल्प मिले। साथ ही, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम जेएवाई) में आयुष पैकेज शामिल नहीं हैं।

*****